Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में सरपंच एवं वार्ड पंच 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 अप्रेल, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज बपावर कलां, कोटा में कार्यवाही करते हुये मनीष कुमार नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी, पं.स. सांगोद, जिला कोटा एवं धनराज मेधवाल वार्ड पंच वार्ड नं0 5 ग्राम पंचायत लटूरी, पं.स. सांगोद, जिला कोटा को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी बाड़े की जमीन पर आंगनबाड़ी भवन नहीं बनाने एवं पट्टा जारी करने की एवज में मनीष कुमार नागर सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी, पं.स. सांगोद, जिला कोटा एवं धनराज मेधवाल वार्ड पंच वार्ड नं0 5 ग्राम पंचायत लटूरी, पं.स. सांगोद, जिला कोटा द्वारा 50 **हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मनीष कुमार नागर पुत्र श्री लक्ष्मीचंद नागर निवासी लटूरी, सांगोद, कोटा हाल सरपंच ग्राम पंचायत लटूरी, पं.स. सांगोद, जिला कोटा एवं धनराज मेधवाल पुत्र श्री रतीराम निवासी डूंगरपुर, लटूरी, सांगोद, जिला कोटा हाल वार्ड पंच वार्ड नं0 5 ग्राम पंचायत लटूरी, पं.स. सांगोद, जिला कोटा को परिवादी से 50 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।